GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकूला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में,

राज्य के सभी,
1. जिला शिक्षा अधिकारी।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी।
5. प्रधानाचार्य / स्कूल प्रभारी।

यादी क्रमांकः– 1/15-2017 ACD (4)
दिनांकः– 03-02-2025

विषयः– कक्षा पहली में दाखिले की न्यूनतम आयु के सन्दर्भ में।

*****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पत्र क्रमांक DO 92/20/SS तथा F. No. 9/2-2020 IS-3 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के मद्देनजर पूरे देश में कक्षा पहली में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष करने की अनुपालना में हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 27.01.2023 तथा 11/7-2023 ACD (4) दिनांक 05.04.2023 के तहत शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के लिए सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे। जिसके अनुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विभाग द्वारा अपने सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम आयु को 5 वर्ष 6 मास किया गया तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में बनाये गये हरियाणा राज्य के नियमों में नियम 10 (जो प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है) की अनुपालना में शैक्षणिक वर्ष जो 01 अप्रैल को आरम्भ होता है उसमें नियमों के अनुसार 6 मास तक की विस्तारित अवधि की छूट भी प्रदान की गई।

विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1/15-2017 ACD (4) दिनांक 29.03.2024 की निरन्तरता में आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किए गए उपरोक्त पत्रों के अनुसार अगले शैक्षणिक वर्ष 2025–26 में कक्षा पहली में दाखिले की आयु 6 वर्ष हो गई है अर्थात ऐसे सभी बालक जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2025 को 6 वर्ष होगी, वे कक्षा पहली में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। ऐसे सभी विद्यार्थी जिनकी आयु शैक्षणिक वर्ष के आरम्भ के दिन अर्थात 01 अप्रैल, 2025 को 6 वर्ष से कुछ कम होगी, उन्हें **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 10 (Extended period of Admission) की अनुपालना में 6 मास की छूट मिलेगी।**

अतः आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों में निम्नानुसार दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें:–

1. 01 अप्रैल, 2025 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में पहली कक्षा में दाखिले के लिए विद्यार्थी की आयु 6 वर्ष होनी अनिवार्य होगी।
2. ऐसे **सभी विद्यार्थी जिनकी आयु 01 अप्रैल, 2025 को 6 वर्ष नहीं होगी उन्हें प्रवेश की विस्तारित अवधि की छूट प्रदान की जाएगी जिसकी सीमा 6 मास** होगी।
3. ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिल हैं तथा 01 अप्रैल को पहली कक्षा में स्तरोन्नत होने वाले हैं उन्हें इसका पूरा लाभ दिया जाए। 01 अप्रैल को आयु सीमा की निर्धारित अवधि पूरी न होने की स्थिति में भी उन्हें कक्षा पहली में स्तरोन्नत किया जाए अर्थात उन्हें पूरे वर्ष के लिए पीछे न किया जाए।
4. शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना में बनाये गये हरियाणा राज्य के नियमों में **नियम 10 जो प्रवेश की विस्तारित अवधि का उल्लेख करता है तथा जो अभी भी लागू है, उसकी अनुपालना में (आगामी परिवर्तनों तक)** कक्षा पहली में दाखिले के समय आयु सीमा में उपरोक्तानुसार छूट प्रदान की जाए।

उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के लिए स्कूल मुखिया व्यापक प्रचार–प्रसार करें। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जानकारी के अभाव में माता–पिता तथा विद्यार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

Kuldeep Mehta

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला

पृष्ठांकन क्रमांक समः **दिनांक, पंचकूला**

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव/प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. वरिष्ठ सचिव/माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री, हरियाणा।
3. वरिष्ठ सचिव/माननीय प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
4. वरिष्ठ सचिव/माननीय प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़।
5. निजी सहायक/माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
6. निजी सचिव/माननीय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
7. सहायक प्रबन्धक/माननीय राज्य परियोजना निदेशक, HSSPP, पंचकूला।
8. निजी सचिव/माननीय निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा, पंचकूला।
9. निदेशक, SCERT हरियाणा, गुरूग्राम।
10. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
11. अतिरिक्त सचिव (विद्यालय शिक्षा) शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

Kuldeep Mehta

सहायक निदेशक (शैक्षणिक)
कृतेः महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला